छात्र–छात्राओं के दस्तावेज संबंधी सामान्य निर्देश

1. छात्र–छात्राओं के समस्त दस्तावेजों जैसे– जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र I.D., बैंक अकांऊट में छात्र/छात्रा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा–10वीं की अंकसूची के अनुसार(स्पेलिंग सहित) ही होना चाहिये। इनमें भिन्नता होने पर शासन द्वारा कार्यरत पोर्टल स्वीकार्य नहीं करता हैं।

2. **आधार कार्ड संबंधी सामान्य निर्देश–**

   i. आधार कार्ड में अंकित छात्र/छात्रा का पूरा नाम, पिता का नाम, कक्षा–10वीं की अंकसूची के अनुसार ही होना चाहिये।

   ii. आधार कार्ड में अंकित छात्र/छात्रा की जन्मतिथि कक्षा–10वीं की अंकसूची के अनुसार ही होना चाहिये।

   iii. आधार कार्ड में दर्ज मोबाईल नंबर आवश्यक रूप से हमशा चालू अवस्था में होना चाहिये।

3. **जाति प्रमाण पत्र संबंधी सामान्य निर्देश–**

   i. जाति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा का पूरा नाम कक्षा–10वीं की अंकसूची के अनुसार ही होना चाहिये।

   ii. जाति प्रमाण पत्र में नीचे आाधार कार्ड नंबर, छात्र/छात्रा का स्वयं का अंकित होना जरूरी हैं।

   iii. जाति प्रमाण पत्र में नीचे समग्र I.D. नंबर में छात्र/छात्रा की सदस्य समग्र I.D. नंबर दर्ज होना चाहिये ना कि परिवार समग्र I.D.।

   iv. जाति प्रमाण पत्र में भी जन्मतिथि छात्र/छात्रा की कक्षा–10वीं की अंकसूची के अनुसार होना चाहिये।

4. **समग्र I.D. संबंधी सामान्य निर्देश–**

   i. समग्र I.D. में अंकित छात्र/छात्रा का नाम, कक्षा–10वीं की अंकसूची के अनुसार ही होना चाहिये।

   ii. छात्र/छात्रा की सदस्य समग्र I.D. के समक्ष आधार **"उपलब्ध है"** दर्शित होना आवश्यक है अर्थात् समग्र I.D. का आधार से लिंक होना अनिवार्य हैं।

   iii. समग्र पोर्टल पर छात्र/छात्रा की सदस्य समग्र I.D. खोलने पर अनिवार्य रूप से कक्षा–10वीं की अंकसूची अनुसार ही जन्मतिथि दर्शित होना चाहिये।

5. **डिजीटल निवास प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश–**

i. यदि छात्र/छात्रा अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका/चुकी हैं तो वह स्वयं का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी।

ii. यदि छात्र/छात्रा की आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसके माता/पिता/अभिभावक के निवास प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा का नाम आवश्यक रूप से कक्षा–10वीं की अंकसूची जैसा नाम अंकित होना चाहिये।

iii. निवास प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से डिजीटल वाला ही होना चाहियें, हस्तलिखित निवास प्रमाण पत्र अमान्य हैं।

6. **डिजीटल आय प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश–**

i. छात्र/छात्रा को आय प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से या तो माता, या पिता या अभिभावक के नाम से ही प्रस्तुत करना होगा, अन्य किसी का आय प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

ii. आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होता हैं, अतः अनिवार्य रूप से वर्ष–2021 से पूर्व का आय प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

7. **बैंक अकांऊट(बैंक खाता) संबंधी निर्देश–**

i. छात्र/छात्रा का बैंक अकांऊट/बैंक पासबुक में नाम, कक्षा–10वीं की अंकसूची के अनुसार ही होना चाहिये।

ii. छात्र/छात्रा का बैंक अकांऊट किसी भी रूप से कियोस्क खाता या चालू खाता(करेंट अकांऊट) नहीं होना चाहिये।

iii. बैंक अकांऊट में छात्र/छात्रा द्वारा **e-kyc** कराया जाना अनिवार्य हैं।

iv. बैंक अकाऊट में बैंक द्वारा प्रदत्त सर्विस–**NPCI Mapping, DBT(Direct Benefit Transfer)** चालू होना चाहिये, अगर नहीं हैं तो संबंधित बैंक शाखा में जाकर छात्र/छात्रा स्वयं बैंक द्वारा संबंधित फार्म लेकर आवेदन करें और यह सुविधा चालू करायें।

नोट– शासन द्वारा जारी योजनाओं में **DBT** के माध्यम से ही हितग्राही/लाभार्थी को छात्रवृत्ति राशि जारी की जाती है इसलिये यह सुविधा बैंक अकांऊट में चालू कराना अति आवश्यक हैं।

8. **मूल दस्तावेज संबंधी निर्देश–**

i. संस्था में अनिवार्य रूप से T.C.(स्थानांतरण प्रमाण पत्र)एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करें, जो कि एनरोलमेंट के समय आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी (RGPV/MCBU)को आवश्यक रूप से प्रेषित की जाती हैं।

नोट– शासन द्वारा किसी योजना का लाभ लेने हेतु छात्र/छात्रा द्वारा किये जा रहे हस्ताक्षर में एकरूपता होना चाहिये।